



364/2022

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/12/22	<p>दावा वकील वादी ने पेश किया। रिपोर्ट भरितना होकर पेश हुई। प्रकरण दर्ज नफिस्तर किया जावे। वकील वादी उप. हैं। प्रतिवादीगण श्री तलवी-पारी होकर पत्रावली दिनांक 5/1/23 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">इ. अ. 3 उपखण्ड अधिकारी जयपुर, चाकसू (जयपुर)</p>	
15.12.22	<p>पत्रावली आज वकीलवादी व वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा पेश करने पर तलब की गई। प्रतिवादीगण श्री मोरेश मालूम सिंह इत्यादिगण एतद्गण के द्वारा नाम पेश किया। प्रतिवादीगण स्वयं उपर्युक्त जे. राजीनामा तस्वीक किया। पत्र 15। सी. पी. सी. जयपुर जिया जो सेलफण्ड वाले बचस राजीनामा व उपर्युक्त पत्र 15। सी. पी. सी. जयपुर जिया जो सेलफण्ड</p> <p style="text-align: right;">इ. अ. 3 उपखण्ड अधिकारी जयपुर, चाकसू (जयपुर)</p>	<p>अपनी पत्रावली</p>  <p>ZD by</p> <p>M. 15/12/2022 (मुकेश नामाडिया) 670</p>
2/1/23	<p>पत्रावली आज वकील वादी के विज्ञो डा. पट्ट पर तलब की गई। वकील वादी व वादी स्व. उप. हैं। वकील वादी ने डा. पट्ट पेश किया कि परबकापन के अर्थ आपस में राजीनामा हो गया है। जिससे वादीना प्रकरण को आगे नहीं चलना चाहते हैं। अतः दावा वादी स्वयं वादी व वादी वकील ने विज्ञो डा. पट्ट पेश होने पर डा. पट्ट को स्वीकार किया जाकर दावा विज्ञो (आरिफ) किया जाता है। पत्रावली वाद वकील वाकील दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">इ. अ. 3 उपखण्ड अधिकारी जयपुर, चाकसू (जयपुर)</p>	<p>गोविंदराम</p> <p>दिलखुशा नूतला</p> <p>ZD by</p> <p>A. H. 2/1/2023 (अजय सिंह चौहान) 850</p> <p>अपनी पत्रावली 3/1</p>  <p>Identify by</p> <p>M. 02/01/2023</p>